


बाल विवाह निवारण

सरकारी पदाधिकारियों के लिए
प्रशिक्षण मार्गदर्शिका



सृजन फाउंडेशन

पुनर्वास और बाल संरक्षण विशेषज्ञ

राहुल मेहता द्वारा

सृजन फाउंडेशन के लिए

गर्ल्स फर्स्ट फण्ड के सहयोग से विकसित

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के लिए

सभी सहयोगियों को हार्दिक आभार

सृजन फाउंडेशन

मुख्य कार्यालय: 106, बिजोय एन्क्लेव, हीराबाग चौक,

मटवारी, हजारीबाग- 825301

राज्य समन्वय कार्यालय: पृथ्वी होम, फ्लैट नं- 202 डी.ए.वी.

दीपटोली गेट नं.1 के निकट, बाँधगाड़ी, रांची 834009

Website: www.srijanjhk.org

E-mail id: srijanfoundationjkd@gmail.com

पृष्ठभूमि

बाल विवाह बहुत ही जघन्य अपराध है. 38% के विवाह दर के साथ झारखण्ड का देश में पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तीसरा स्थान है. सृजन फाउंडेशन द्वारा बाल विवाह के उन्मूलन हेतु ग्लोबल फर्स्ट फण्ड के सहयोग से हजारीबाग और गुमला जिला में "बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम" परियोजना क्रियान्वित की जा रही है. बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और किशोरियों को यह अहसास कराने के लिए कि उनके सपने और ख्वाहिश शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सृजन फाउंडेशन नियमित रूप से किशोरियों और युवा महिलाओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करता रहता है. संस्था नियमित रूप से अन्य हितधारकों, जैसे कि माता-पिता, शिक्षक, सेवा प्रदाता, फ्रंट लाइन वर्कर, घासिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों आदि के साथ भी बातचीत करता है ताकि कार्यक्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति बाल विवाह के खिलाफ अभियान में एक साथ आये.

सृजन फाउंडेशन न केवल बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि लोगों को शादी की उम्र में देरी के लिए जागरूक और संवेदनशील भी कर रहा है. सृजन फाउंडेशन का मानना है कि एक किशोर या किशोरी 18 साल के होते ही अचानक से वयस्क और कुशल नहीं बन जाते. उन्हें दुनियादारी समझने और स्वनिर्भर बनने में वक्त लगता है. अतः जब तक वे पूरी तरह कार्यात्मक वयस्क नहीं हो जाते, जो विवाह की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अति आवश्यक है, तब तक विवाह की उम्र में देरी करना समय की माँग है.

मार्गदर्शिका किसके लिए

ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक अनेक सरकारी पदाधिकारी सेवा प्रदाता, समन्वयक एवं निर्णयकर्ता के रूप में बाल विवाह के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बाल विवाह के रोकथाम के अलावे, उचित न्यायायिक प्रक्रिया, संबंधित परिवार के लिकेज व पुनर्वास सहित तय संरक्षण तंत्र को सक्रिय बनाने में भी उनकी अहम् भूमिका है. वे व्यक्तिगत रूप से या फिर किसी समिति के सदस्य के रूप में बाल विवाह के रोकथाम से जुड़े हुए हैं. यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका मूल रूप से उन्हें केंद्र में रख कर तैयार की गयी है.

मार्गदर्शिका का उद्देश्य

यह मार्गदर्शिका किशोरियों से संबंधित हिंसा और भेदभाव के मामलों की पहचान, समझ एवं दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण, बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों, सरकारी प्रावधानों और बाल विवाह के निवारण में पंचायत के भूमिका संबंधी ज्ञान वृद्धि में सहायक हो सकती है. मार्गदर्शिका का विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सेवा प्रदाताओं और सरकारी पदाधिकारियों का संवेदनशीलता और क्षमता विकसित करना.
- बाल विवाह निवारण में सेवा प्रदाताओं और सरकारी पदाधिकारियों के सक्रिय भागीदारी हेतु उनके भूमिका और जिम्मेदारियों पर समझ विकसित करना.
- सेवा प्रदाताओं और सरकारी पदाधिकारियों के साथ विमर्श हेतु एल टूल उपलब्ध करना जिसके आधार परियोजना से जुड़े कार्यकर्ता उनके साथ सहयोग हेतु परिचर्चा कर सकें.
- एक ऐसा समूह तैयार करना जो परियोजना के समाप्ति के बाद भी क्षेत्र में एक संसाधन के रूप में उपलब्ध रहे.

सृजन फाउंडेशन

सृजन फाउंडेशन सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध युवा प्रोफेशनल के एक समूह द्वारा 1995 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज के वंचित समूह के कल्याण तथा समुदाय और जमीनी संगठनों की क्षमता विकास के लिए प्रयासरत है. 07 फरवरी 2001 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत संस्था अपने स्थापना काल से ही समुदाय के वंचित वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से झारखण्ड राज्य के सात जिलों और नेटवर्क के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है. सृजन फाउंडेशन उन संस्थाओं की भी मदद करती आ रही है जो गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के संरचनात्मक कारणों को चुनौती देने के लिए जुटे हैं और अभियान चला रहे हैं.

मिशन:

गरीबों, हाशिए और बहिष्कृत समुदायों को उनके सुविधाओं और अधिकारों की माँग के लिए सशक्त बनाना. रेप्लिकेशन के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकास के सफल मॉडल बनाना. सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा वंचित समुदाय, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले संस्थानों को प्रभावित करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों की क्षमता विकसित करना.

लक्ष्य:

- झारखंड राज्य में सबसे अधिक कमजोर, हाशिए पर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) के समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना. इसके लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सामुदायिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के क्षमता निर्माण तथा विकास के मॉडल के निर्माण को बढ़ावा देना. लक्षित समूह के अधिकारों के लिए आवाज उठाना और अधिकारों के प्राप्ति हेतु उन्हें मदद करना.

प्रमुख उद्देश्य:

- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के सुविधाओं और अधिकारों का संरक्षण करना. देखभाल तथा बाल संरक्षण के हस्तक्षेप मॉडल का प्रदर्शन करना.
- सशक्त, लिंग संवेदनशील और हिंसा मुक्त समाज के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा और भागीदारी के साथ सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा करना.
- गरीब और हाशिए के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्थायी कृषि और आजीविका के विकल्पों का मॉडल तैयार करना.
- जमीनी और नीति, दोनों स्तरों पर महिलाओं और बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उनकी क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करके सीबीओ और नागरिक समाज संगठनों के बीच सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना.
- जेंडर, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण और आजीविका पर उत्कृष्टता का केंद्र बनने हेतु कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए संस्था की क्षमताओं का विकास करना.
- राज्य में बंधुवा मजदूरी, मानव तस्करी, बाल विवाह, डायन कुप्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करना तथा गमन के अधिकार का संरक्षण करते हुए सुरक्षित गमन को बढ़ावा देना.

संस्था का मूल्य बोध:

धर्मनिरपेक्षता और समावेशन, लैंगिक संवेदनशीलता, साझेदारी, समुदाय सर्वप्रथम, जवाबदेही और पारदर्शिता, तथा कार्य संस्कृति संस्था के प्रमुख मूल्यबोध हैं।

प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र:

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय, बाल अधिकार और संरक्षण, स्वास्थ्य, सतत कृषि, क्षमता विकास, सुरक्षित गमन, नेटवर्किंग एवं पैरवी।

सृजन फाउंडेशन लिंग, जाति, पंथ, जातीय और अन्य सामाजिक भेदभावों से परे, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है और अपनी नीति और कार्यक्रमों में सभी के लिए अवसरों की समानता के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के उपयोग हेतु निर्देश

सहजकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वे मार्गदर्शिका का अध्ययन प्रशिक्षण से पहले कर लें और सत्र के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री एवं वितरण हेतु पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था कर लें। जब सहभागी अपना ज्ञान और अनुभव साझा कर रहे हों तब सहजकर्ता जानकारी फिर से पढ़ सकते हैं। सहभागिता, परिचर्चा एवं विमर्श को प्रोत्साहित करें पर साथ ही-

- व्यक्तिगत, धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक टिप्पणी से बचें
- अनावश्यक उदाहरण देने से बचें,
- मुद्दे से भटकाव को नियंत्रित करें
- समय का ध्यान रखें। बहुत तेज या बहुत धीमा न हों।
- अनावश्यक बहस को रोकें।
- चर्चा के दौरान सहभागियों को बगल में बैठे साथियों के चर्चा बजाय बड़े समूह में चर्चा करने को कहें।
- व्यक्तिगत या निजी उदाहरण के समय गोपनीयता के महत्व पर अवश्य चर्चा करें।

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के उपयोग की प्रक्रिया

- प्रशिक्षण का संचालन खुशनुमा माहौल बनाते हुए करें। प्रश्न सहज भाषा और मजाकिए लहजे में पूछें।
- चर्चा की शुरुआत रोजमर्रा की बातों से करें। गाँव-घर की चर्चा करते हुए इसे गतिविधि से जोड़ दें।
- प्रश्न या जानकारी पढ़े नहीं बल्कि उसे सहजता से पूछें या बताएं। हो सके तो सरल अभिनय कर पूछें।
- एक प्रश्न का जवाब मिलने पर ही दूसरा प्रश्न पूछें। प्रश्न का जवाब न मिलने पर उदाहरण सहित प्रश्न दोहरायें।
- जवाब सही होने पर उचित प्रतिक्रिया दें।
- सही जवाब नहीं मिलने पर मार्गदर्शिका में लिखित जवाब बताएं, सबसे पूछें क्या वे सहमत हैं?
- प्रश्न पूछने से पूर्व जवाब भी पढ़ लें। यह प्रश्न के उद्देश्य एवं संभावित उत्तर से अवगत कराएगा।
- पीयर लीडर्स का जवाब गलत होने पर या अतिरिक्त जानकारी के लिए संकेत दे, पूरक प्रश्न पूछें।
- विभिन्न जानकारियों को आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ें। आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण दें।
- पीयर लीडर्स अनेक जवाब दे सकते हैं। सही जवाब पर ध्यान दें और उसी से विमर्श को आगे बढ़ाएं।
- यदि दो विपरीत जवाब आते हैं तो स्पष्टीकरण/जवाब का आधार पूछें और सही निष्कर्ष बताएं।
- जवाब स्वयं देने के बजाय दूसरे पीयर लीडर्स से जवाब निकालने का प्रयास करें।
- जो सहभागी कम भाग ले रहे हों उन्हें भाग लेने और अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें।
- चर्चा के अंत में सत्र से संबंधी प्रतिक्रिया, सलाह लें।

उदाहरण, घटना और शब्दावली:

मार्गदर्शिका में दिए गए उदाहरण से मिलता-जुलता तात्कालिक उदाहरण या घटना का वर्णन किया जा सकता है. शब्दों का प्रयोग भी पीयर लीडर्स के सुविधा के अनुसार किया जा सकता है.

जानकारी बनाम समझ:

सहजकर्ता को उसके ज्ञान के कारण लगता है कि प्रशिक्षणार्थियों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है. अतः एक जानकारी को एकाधिक बार दोहरायें. हर गतिविधि के बाद उस सत्र के प्रमुख सीखों को दोहरायें.

याद रखें स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग एक एक अच्छे सहजकर्ता का महत्वपूर्ण गुण है.

पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

एक दिवसीय

#		मुद्दा	विषयवस्तु	पद्धति	उद्देश्य
1	परिचय	परिचय	परिचय	जोड़ी अभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> सहभागियों के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी सहभागी एक दूसरे को जान पाएंगे झिझक समाप्त करना
बुनियादी नियम			ब्रेनस्टार्मिंग		
प्रशिक्षण से अपेक्षाएं			लेखन कार्य		
कार्य के दौरान प्रमुख चुनौतियां			ब्रेनस्टार्मिंग		
स्वयंसेवकों का चयन			चयन		
2	मुद्दे की समझ और परिपेक्ष्य निर्माण	बाल विवाह -एक समझ	बाल विवाह एवं शीघ्र विवाह क्या है?	प्रश्नोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह पर समझ बनाना बाल विवाह के कारणों पर समझ बनाना
बाल विवाह के कारण			लेखन कार्य		
बाल विवाह संबंधी सामाजिक मानदंड		संबंधित सामाजिक मानदंडों की पहचान	वीडियो, रोल प्ले		
		लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान और उसका प्रभाव	समूह कार्य		
4	बाल विवाह का दुष्प्रभाव	बाल विवाह के दुष्प्रभाव के समझ	परिचर्चा	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह के दुष्प्रभाव और इसके गंभीरता पर समझ बनाना 	
5		बाल विवाह से संबंधित योजनायें	पीपीटी, चर्चा	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के जानकारी में वृद्धि करना. 	
6	प्रमुख प्रावधान और पंचायत सदस्यों की भूमिका	बाल विवाह संबंधी कानूनी प्रावधान	बाल विवाह संबंधी कानून	परिचर्चा	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी बाल विवाह से संबंधित कानून और पंचायत के भूमिका पर समझ बनाना
बाल विवाह निषेध अधिनियम			पीपीटी, चर्चा		
पोक्सो अधिनियम			पीपीटी, चर्चा		
अन्य संबंधित अधिनियम			पीपीटी, चर्चा		

#	मुद्दा	विषयवस्तु	पद्धति	उद्देश्य
7	विभिन्न	संरक्षण तंत्र	पीपीटी, चर्चा	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह से संबंधित विभिन्न संरक्षण तंत्र की जानकारी और उनकी भूमिका पर समझ बनाना
	हितधारकों की भूमिका	मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभिन्न तंत्र की प्रमुख भूमिका	पीपीटी, चर्चा	
		खुला सत्र	चर्चा	
8	कार्य योजना	कार्य योजना निर्माण	लेखन कार्य	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत कार्य योजना बनाना
9		फीडबैक	प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक	फोर्मेट भरवाना

सत्र -1: स्वागत, परिचय और उद्देश्य

उद्देश्य :

- सहभागियों के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेना
- सहभागी एक दूसरे को जान पाएंगे
- झिझक समाप्त करना

समय : 30 मिनट

पद्धति : परिचय और व्यक्तिगत चर्चा

सामग्री : कलर पेपर, स्केच, चार्ट पेपर, टेप

1.0 : शुभारंभ : अनौपचारिक

सभी सहभागियों से उनका हाल-चाल पूछें. साथ में यह भी पूछें कि आने में उन्हें कोई विशेष दिक्कत तो नहीं हुई? क्या उनका कोई साथी रास्ते में है? यदि हाँ तो वे कितने देर में पहुंच जाएंगे?

1.1 : स्वागत, परिचय

अपना परिचय देते हुए सभी सहभागियों का संस्था और परियोजना की ओर से स्वागत करें. प्रशिक्षण की अवधि बताते हुए यह उम्मीद जताएं कि प्रशिक्षण से वे कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो उनके काम को और प्रभावी बनाएगा. हम सिर्फ वही नहीं सीखते जो हमें प्रशिक्षक या सहजकर्ता बताते हैं बल्कि दूसरे सहभागियों के विचारों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. इसलिए जरूरी है कि पहले हम एक दूसरे को जान लें. सभी सहभागियों को बारी-बारी से अपना परिचय देने के लिए कहें. संस्था के प्रतिनिधि और सहजकर्ता भी अपना परिचय दे दें.

1.2 : सत्र के दौरान सभी सहभागियों हेतु बुनियादी नियम

ब्रेनस्टार्मिंग:

सत्र के सुचारु संचालन के लिए कुछ बुनियादी नियम सहभागियों से पूछ कर बनायें. जैसे -

- सत्र के दौरान मोबाइल साइलेंट मोड में रखें. वाट्सअप संदेश या किसी भी तरह के अन्य संदेश लिख कर अपनी सीख की प्रक्रिया को बाधा नहीं पहुंचाएंगे.
- अति आवश्यक न हो तो सत्र के बीच से न उठें.
- एक-एक कर बोलें. अपनी बात स्पष्ट: और संक्षेप में रखें.
- यदि किसी को आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो चुपचाप चले जाएँ और जल्द बिना अनुमति के वापस आकर बैठ

जाएँ.

- समय का पालन करें. सत्र के दौरान आपस में व्यक्तिगत बात ना करें.
- दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने और उनका तर्क समझने का प्रयास करें. असहमत होने पर अपना तर्क रखें.
- चर्चा के दौरान यदि नोट लेने से मना किया जाये तो लिखने के बजाय चर्चा पर ध्यान दें और इसमें भाग लें.
- हर व्यक्ति की राजनीतिक झुकाव होती है. चर्चा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाये.
- सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करें. इसे रोचक बनाने के लिए कहा जा सकता है कि-
 - ◇ यदि कोई सहभागी चर्चा के दौरान बोलना नहीं चाहते तो उन्हें कोई बाध्य नहीं करेगा. वह शांत रह सकती है. लेकिन एक शर्त है. सत्र समाप्त होने के बाद उन्हें एक गीत गाना पड़ेगा. यदि गाना नहीं आता तो एक चुटकुला सुनाना पड़ेगा. अब निर्णय आपका है. आप समूह के साथ बातचीत करना चाहते हैं या अकेले?

1.3 : प्रशिक्षण से अपेक्षाएं और उद्देश्य

लेखन कार्य:

- सभी सहभागियों को एक-एक रंगीन कार्ड दें. उन्हें इस प्रशिक्षण से अपनी एक अपेक्षा लिखने के लिए कहें.
- यदि वे लिख लेते हैं तो कार्ड लेते जाएँ और उन्हें वर्गीकृत कर चार्ट पेपर पर चिपकाते जाएँ.
- अंत में वर्गीकृत अपेक्षाओं को पढ़कर सुनाएं और यह स्पष्ट करें के प्रशिक्षण में किन-किन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा.
- संस्था और परियोजना के बारे में संक्षेप में जानकारी दें.

उद्देश्य:

- बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम हेतु सरकारी अधिकारियों का जानकारी और क्षमता विकसित करना.
- बाल विवाह निवारण में सरकारी अधिकारियों के सक्रिय भागीदारी हेतु उनके भूमिका और जिम्मेदारियों पर समझ विकसित करना.
- बाल विवाह संबंधी सरकार के विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों के अनुपालन हेतु आधार तैयार करना.

1.4 : कार्य के दौरान प्रमुख चुनौतियां

ब्रेनस्टार्मिंग:

सहभागियों से बाल विवाह के निवारण संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में आने वाली जानकारी, कौशलता, नागरिकों और समाज तथा सहबद्धता संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करें. इन्हें वर्गीकृत कर एक चार्ट पेपर में लिखते जाएँ. सभी चुनौतियाँ पढ़ कर सुनाएँ.

संभावित वर्गीकरण

- जानकारी, कौशलता संबंधी
- जानकारी की उपलब्धता संबंधी
- पारिवारिक, सामाजिक मानसिकता और व्यवहार संबंधी
- संरक्षण तंत्र संबंधी
- व्यवस्थागत, लिकेज या नेटवर्क संबंधी
- अन्य कोई

निष्कर्ष:

सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोहरी भूमिका है. सरकार का एक हिस्सा होने के कारण सरकार के अधिनियमों और प्रावधानों का अनुपालन इनकी विशेष जिम्मेदारी है. विषय की गंभीरता के अनुसार चर्चा के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं. सभी के सक्रीय भागीदारी और मुद्दे पर ही परिचर्चा से चुनौतियों पर चर्चा की जा सकती है तथा अपेक्षित अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है. इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है.

किसी एक गीत के साथ सत्र का समापन करें.

सत्र -2: बाल विवाह- एक समझ

उद्देश्य :

- बाल विवाह के बारे में समझ बनाना
- बाल विवाह के कारणों पर समझ बनाना

समय : 45 मिनट
पद्धति : प्रश्नोत्तर, ब्रेनस्टार्मिंग
सामग्री : विशेष नहीं

2.1 : बाल विवाह और अर्ली यूनियन क्या है?

सभी सहभागियों से प्रश्न पूछें. उन्हें जवाब के लिए प्रेरित करें. सही जवाब मिलने पर पूछें क्या कोई इस जवाब से असहमत है? अगर हाँ, तो क्यों? जवाब न मिलाने पर या अलग होने पर सही जवाब बता दें.

प्रश्न : सभी सहभागियों पूछें कि वे बाल विवाह से क्या समझते हैं?

उत्तर : 18 वर्ष से पूर्व लड़की का एवं 21 वर्ष से पूर्व लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है.

प्रश्न : बाल या बच्चा शब्द से आप क्या समझते हैं?

उत्तर : 18 वर्ष तक का व्यक्ति बच्चा कहलाता है?

प्रश्न : जब बच्चा 18 वर्ष तक ही होता है तो लड़कों के स्थिति में यह बाल विवाह कैसे हुआ?

उत्तर : वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है. लेकिन बाल विवाह के मामले में यह उम्र सीमा 21 वर्ष है. इसलिए इसे शीघ्र विवाह भी कहा जाता है.

प्रश्न : लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष क्यों रखी गयी है?

विमर्श के लिए प्रेरित करें और जवाब संकलित करें.

निष्कर्ष:

यह माना जाता है कि परिवेश और जिम्मेदारियों के कारण लड़कियाँ, लड़कों के तुलना में जल्द परिपक्व हो जाती हैं. भारतीय समाज में आज भी पुरुषों को घर संभालने के लिए जिम्मेदार माना जाता है. यह जिम्मेदारी लड़के 21 वर्ष से पूर्व नहीं निभा पाते. लेकिन एक किशोर या किशोरी 18 साल का होते ही अचानक से वयस्क और कुशल नहीं बन जाते. उन्हें दुनियादारी समझने और स्वनिर्भर बनने में वक्त लगता है. अतः जब तक वे पूरी तरह कार्यात्मक वयस्क नहीं हो जाते, जो विवाह की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अति आवश्यक है तब तक विवाह की उम्र लड़कियों और लड़कों के लिए क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष में भी देरी करना समय की माँग है.

सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की स्थिति

ब्रेनस्टार्मिंग:

- जिन सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएँ विगत तीन वर्षों में नहीं हुई है, हाथ उठाये.
- जिन सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएँ विगत एक वर्ष में नहीं हुई है, हाथ उठाये.
- सहभागियों से उनके क्षेत्र में बाल विवाह की स्थिति के बारे में चर्चा करें.
- बाल विवाह के स्थिति पर चर्चा को निम्न प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ाएं –
 - ◇ क्या किसी टोला या गाँव में बाल विवाह के ज्यादा मामले हैं? अगर हाँ तो क्यों?
 - ◇ क्या किसी विशेष समुदाय में बाल विवाह के ज्यादा मामले हैं? अगर हाँ तो किसमें और क्यों?
 - ◇ क्या किसी विशेष स्थिति में बाल विवाह के ज्यादा मामले होते हैं? अगर हाँ तो क्या?

निष्कर्ष:

बाल विवाह सभी जगह व्याप्त है. पर कुछ विशेष समुदाय में बाल विवाह की दर ज्यादा है. यह भी देखा गया है कि सुदूर गाँव में बाल विवाह की घटनाएँ तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती हैं.

2.2: बाल विवाह का कारण क्या है?

लेखन कार्य:

- सभी सहभागियों को एक रंगीन पेपर में बाल विवाह का एक-एक कारण लिखने के लिए कहें.
- सभी को एक-एक कर जवाब पढ़ने के लिए कहें.
- यदि संभावित जवाब से कुछ जवाब नहीं मिलें हैं तो उसे पढ़ें और सहभागियों की सहमती लेकर पेपर में लिखें. अगर किसी कारण पर प्रतिवाद होता है या उस पर विशेष जोर दिया जाता है तो उस पर चर्चा करें.

बाल विवाह के प्रचलित कारण:-

- रीति-रिवाज, परंपरा, प्रथा
- पारिवारिक सम्मान से जुड़ा पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड-जैसे बेटी पराया धन,
- स्कूल छुट जाना, शिक्षा के सीमित अवसर, परिवहन की कमी, शिक्षा का निम्न गुणवत्ता
- प्रेम संबंध और इसके कारण गर्भाधान
- दहेज प्रथा, आपदा
- लड़कियों की असुरक्षा की भावना, विवाह का अच्छा प्रस्ताव
- लड़कियों की पवित्रता की मानसिकता, उंच-नीच हो जाना
- गरीबी- मायके द्वारा परिवार के आकार को कम करना,
- लड़के के परिवार के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी
- खंडित परिवार, एकल अभिभावक,
- कानूनों का कमजोर पालन

बाल विवाह के कारणों का वर्गीकरण

वर्गीकरण:

05 चार्ट पेपर चिपका दें. अब सहभागियों से कारणों के प्रकार के अनुसार जवाब अलग-अलग चार्ट पेपर में उनसे पूछ कर चिपकाते जाएँ. इस कर हेतु किसी एक सहभागी की मदद ली जा सकती है.

संभावित वर्गीकरण:

- व्यक्तिगत या किशोरी संबंधी: किशोरी की शिक्षा और कौशल विकास का अवरुद्ध हो जाना
- पारिवारिक: गरीबी, विपत्तिग्रस्त परिवार
- सामुदायिक: जागरूकता की कमी
- सामाजिक मानदंड: पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज
- कानूनी या व्यवस्थागत: कानून और योजनाओं का प्रभावी पालन का अभाव

पंचायत सदस्यों की भूमिका:

एक-एक वर्गीकृत कारणों को पढ़ते जाएँ और सहभागियों से पूछे कि क्या इस करान के निवारण में उनकी कोई भूमिका है. अगर है तो क्या? संक्षेप में पूछे. जवाब संकलित करते जाएँ. उन्हें बताएं कि उनकी भूमिका पर बाद में विस्तार से चर्चा होगी.

निष्कर्ष:

बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. यह किशोरियों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और संरक्षण के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर देता है. बाल विवाह के कुछ कारण स्थानीय हैं. परन्तु पूरे राज्य में अधिकतर कारण एक सामान ही हैं. बाल विवाह का सर्वाधिक प्रभाव लड़कियों के जिंदगी पर पड़ता है परन्तु लड़कियाँ खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं. बाल -विवाह के कारणों के निवारण में पंचायत सदस्यों की विशेष भूमिका है.

सत्र- 3: बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंड

उद्देश्य :

- बाल विवाह संबंधी सामाजिक मानदंडों की पहचान और प्रभाव पर की समझ बनाना

समय : 60 मिनट

पद्धति : प्रश्नोत्तर, ब्रेनस्टार्मिंग

सामग्री : जेहि कोखे- वीडियो, पीपीटी

3.1: बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों की पहचान

वीडियो:

वीडियो "जेहि कोखे बेटा जन्में, वही कोखे बेटिया" (#ShavingSterotypes Gillette) दिखाएँ.

विमर्श:

- क्या ऐसी मानदंड आपके यहाँ भी है ?
- क्या सामाजिक मानदंडों का वास्तविकता से कुछ लेना-देना होता है?
- क्या आपको कभी लगा है कि लड़कियाँ कुछ काम कर सकती हैं, लेकिन समाज उसे रोकती है.
- लैंगिक भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों को पहचाने.

चर्चा क्रीपर विधि (एक लाइन से) से प्रारंभ करें. थोड़ी देर बाद पॉपकॉर्न विधि (यहाँ-वहाँ से) अपना लें. यदि संभावित जवाब के कुछ बिंदु चर्चा में नहीं आये हैं तो पढ़कर सुनाएँ और उनसे पूछें कि क्या ऐसा भी होता है?

- बेटे के जन्म पर उत्सव मनाना, मिठाई बांटना
- बेटे का देखरेख और पोषण बेहतर
- बेटे का मुँह जुट्टी सात माह में, बेटी का 05 माह में
- बेटे का बेहतर शिक्षा
- बेटी को घरेलू काम काज की जिम्मेदारी
- बेटे को खेलने के लिए बैट- बॉल या बन्दुक तथा बेटी को खेलने के लिए गुड़िया
- बेटे के नामकरण पर उत्सव, बेटी का खामोशी से
- बेटे का पालन पोषण ज्यादा जतन से
- बेटे के चाहत में भ्रूण हत्या
- बेटे के खेलने के लिए नया खिलौना
- बेटी के अवागमन पर प्रतिबंध

रोल प्ले:

किन्ही सात सहभागियों को अभिभावक बना दें. मान लिया कि उन्होंने समाज के दबाव में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी है. कोई दो सहभागी शिकायत पर जाँच करने पहुंचते हैं. अभिभावक विवाह को सही ठहराने के लिए समाज और रीति-रिवाज को ढाल बना कर अनेक तर्क देते हैं. तर्कों को संकलित करते जाएँ.

संभावित जवाब:

बेटी पराया धन होती है	बेटी परिवार का इज्जत होती है
बेटी का विवाह गंगा नहाना जैसा काम है	ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है
लड़की ज्यादा पढ़-लिख जाएगी तो वर नहीं मिलेगा	लड़की के ज्यादा पढ़ने से ज्यादा दहेज लगता है
माहवारी के साथ लड़की शादी लायक हो जाती है	खूंट से बंधी गाय ही सुरक्षित होती है
वधु का उम्र वर से 5 से 10 साल कम होना चाहिए	विवाह के बाद ही यौन संबंध बनाना चाहिए

निष्कर्ष:

बाल विवाह अपने आप में सामाजिक नियम नहीं है, पर अनेक सामाजिक मानदंड बाल विवाह का कारण हैं. इसे समुदाय की संस्कृति और परंपरा के तौर पर देखा जाता है तथा अक्सर इसे किशोरी की हित में उठाया गया कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. कानूनी प्रावधान से अनभिज्ञ या उसके परिणामों से बेखबर अभिभावक सामाजिक मानदंडों के ताना-बाना में इसके दुष्परिणामों को समझ नहीं पाते. बाल विवाह के रोकथाम के लिए इससे संबंधित सामाजिक मानदंडों को बदलना अनिवार्य है.

3.2: लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान और उसका प्रभाव

समूह चर्चा:-

सहभागियों को तीन समूह में बांटे. उन्हें निम्न विषय पर चर्चा कर प्रस्तुतीकरण हेतु तैयारी करने के लिए कहें. चर्चा का समय 10 मिनट निर्धारित करें.

- समूह 1: लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान
- समूह 2: लड़कियों के साथ भेदभाव का प्रभाव
- समूह 3: लड़कियों के साथ भेदभाव का सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज रूपी आवरण

प्रस्तुतीकरण:

- अब सभी समूह को 05-05 मिनट में प्रस्तुतीकरण के लिए कहें.
- प्रस्तुतीकरण का नियम निर्धारित कर दें.
- समूह का प्रस्तुति के बाद अन्य सहभागियों से राय लें.
- प्रस्तुति में आवश्यक सुधार करते जाएँ.
- सभी समूह को बेहतर प्रस्तुति के लिए ताली बजवा कर धन्यवाद दें.

परिचर्चा:

भेदभाव की पहचान: भेदभाव की बेहतर समझ के लिए चिन्हित भेदभावों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करें. प्रस्तुति के अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ दें.

- शिशु के पालन-पोषण, देख-रेख में भेदभाव
- खान-पान, रहन-सहन, पहनावे में भेदभाव
- पढ़ाई के अवसरों में भेदभाव
- घर की जिम्मेदारी और मनोरंजन में भेदभाव
- बाहर जाने, निर्णय लेने, खेल-कूद, खर्च करने में भेदभाव
- बोलने, हंसने, सीने, उठने के समय में भेदभाव
- कौशल विकास के अवसर में भेदभाव

लड़कियों के साथ भेदभाव का प्रभाव: किशोरियों के साथ होने वाले भेदभाव का प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं. प्रस्तुति के अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ दें.

- कमजोर स्वास्थ्य, उचित विकास नहीं होता है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है.
- शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, शिक्षा अधूरा छोड़ना पड़ता है.
- उचित उच्च शिक्षा और कौशल विकास का अवसर नहीं मिलता
- खेल कूद और मनोरंजन का समय नहीं मिलता, बचपन प्रभावित होता है
- बाल विवाह, घरेलु हिंसा का शिकार हो सकती है.
- विभिन्न प्रकार के हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, छेड़-छाड़, दुष्कर्म आदि का शिकार हो जाती हैं.
- अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकतीं. अनेक बार समझौता करना पड़ता है.
- डर के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णय लेने में डर लगता है.
- संकोची और दबूपन का शिकार हो सकती हैं. अपनी बात ठीक से नहीं रख पातीं.
- रोजगार, स्व-निर्भरता और विकास के अवसर कम हो जाते हैं.
- पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं.

3.3: लड़कियों के साथ भेदभाव का सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज रूपी आवरण

समूह चर्चा:-

जेहि कोखे बेटा जन्में, वही कोखे बेटीया वीडियो देखने के बाद कुछ लड़कियों से भेदभाव वाले कुछ सामाजिक मानदंडों की पहचान की गई थी. समूह के प्रस्तुति और उस चर्चा के आधार पर भेदभाव निम्नलिखित हो सकते हैं-

- बच्चे का जन्म: बेटा के जन्म पर नगाड़ा या बर्तन पीटना, बेटी के जन्म पर घर के आगे झाड़ू टांगना/उदासी.
- माँ को प्रतिक्रिया: वंश चलाने के लिए लड़का पैदा करने पर बधाई, लड़की पैदा करने के लिए ताना.
- पालन-पोषण : बेटा को बेहतर पोषण और देखभाल जबकि बेटी को थोड़ी उपेक्षा.
- खिलौना: लड़का के लिए बैट-बॉल या अन्य नया खिलौना, लड़की के लिए गुड़िया या कुछ भी नहीं.
- शिक्षा: लड़का का नामांकन प्राइवेट स्कूल में, जबकि लड़की का नामांकन सरकारी विद्यालय में.
- खेलकूद: लड़का का बाहर खेलने जाना, जबकि लड़की को घर का काम करने के लिए बोला जाना.
- जिम्मेदारी: लड़कों को कुछ नहीं या दूध लेन जैसा बाहर का काम, लड़कियों का छोटे बच्चों को संभालना.
- काम: लड़का को बाहर का काम या खरीददारी, लड़की को झाड़ू लगाना या घर का काम.
- शिक्षा: लड़का को ऋण लेकर भी पढ़ाया जाना जबकि लड़की को यह कह कर पढ़ाई बंद करा देना कि तुम ज्यादा पढ़-लिख कर क्या करोगी, आखिर तुम्हें तो चूल्हा-चौका/घर ही संभालना है.
- शिक्षा का विषय: लड़का के लिए साइंस या इंजीनियरिंग जबकि लड़की के लिए होम या पोलिटिकल साइंस.
- निर्णय का अधिकार: लड़कियों और महिलाओं को जनी जाईत या औरत जात कह कर निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है जबकि पुरुषों का हर निर्णय श्रेष्ठ मन जाता है.
- सामाजिक प्रतिबन्ध: लड़कियों और महिलाओं पर सामाजिक मान-मर्यादा के नाम पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गए हैं. उनके अनेक व्यवहार अनुचित माने जाते हैं जैसे- जोर से हंसना या बोलना. कुछ अवसरों पर उन्हें तात्कालिक बहिष्कृत भी किया जाता है जैसे- माहवारी के समय पूजा-पाठ से. वहीं पुरुषों के अनेक गलत व्यवहारों को अभिमान के तौर पर देखा जाता है या "मर्द जात" के नाम पर नजरंदाज कर दिया जाता है.

निष्कर्ष:

पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण किशोरियों और महिलाओं के साथ घर के अंदर और बाहर कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उन्हें कमतर आंका जाता है. जीवन-पर्यंत वे पुरुषों के अधीन रहती हैं. इसका दुष्प्रभाव किशोरियों और महिलाओं के जीवन के परिवार और समाज पर भी पड़ता है. जिस परिवार में यह भेदभाव होता है वह विकास के दौड़ में पिछड़ जाता है.

किशोरियों के साथ भेदभाव छोटे-छोटे व्यवहारों से जाने अनजाने व्यवहारों से प्रारंभ होता है जो वास्तव में जेंडर आधारित लिंग भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों, रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं से प्रभावित होती हैं. ये सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज तथा प्रथा महिला-पुरुष दोनों को प्रभावित करते हैं, अतः लड़कियों के साथ भेदभाव वाले अनेक व्यवहार महिला-पुरुष दोनों के द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं.

किशोरियों के साथ भेदभाव वाले सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज तथा प्रथा से महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगते हैं जबकि पुरुषों को इसका अनुचित लाभ मिलता है अतः धीरे-धीरे यह शोषण का माध्यम भी बन जाता है. निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों के वर्चस्व के कारण पुरुषों द्वारा इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है.

अधिकतर घटनाओं में ये देखा गया है कि समुदाय भी ऐसे व्यवहारों में बिना सोचे समझे सहयोग करता है क्योंकि उनको लगता है कि ये परम्परा पुरखों से चली आ रही है और इसका निर्वहन करना उनका धर्म और परम कर्तव्य है.

चाय के लिए 15 मिनट का ब्रेक

अत्र- 4: बाल विवाह का दुष्प्रभाव

उद्देश्य :

- बाल विवाह के दुष्प्रभाव और इसके गंभीरता पर समझ बनाना

समय : 60 मिनट

पद्धति : खेल, ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी

सामग्री : पीपीटी

4.1: बाल विवाह का दुष्प्रभाव

पावर वाक :

02 सहभागियों को आमंत्रित करें. एक को कमल और दूसरे को कमला की पहचान दें. दोनों से कहें कि आप कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे. यदि उनके लिए स्टेटमेंट सटीक लगे और वो उस स्टेटमेंट से सहमत हो तो एक कदम आगे और चुनौतीपूर्ण लगने पर एक कदम पीछे करें. दोनों को एक साथ अगल-बगल खड़ा कर दें. अन्य सहभागियों से उनका अवलोकन करने के लिए कहें.

- इंटर के छात्र 20 साल के कमल की दसवी की छात्रा 17 वर्षीया कमला के साथ तय कर दी जाती है.
- कमला के घर वाले सोचते हैं कि शादी से परिवार में एक व्यक्ति का बोझ कम हो जायेगा. जबकि कमल के घर वाले सोचते हैं, कि घर में एक और काम करने वाली आ जायेगी.
- दोनों पढ़ाई के नाम पर शादी का विरोध करते हैं. कमल को कहा जाता है, पढ़ने से किसने रोका है, शादी के बाद पढ़ते रहना. कमला को कहा जाता है पढ़-लिख कर क्या करोगी, आखिर घर ही संभालना है.
- शादी के बाद कमल के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं- "अरे अभी तक तुम बाप नहीं बने हो". परिवार के कुछ लोग कमला की झाड़-फूंक करवाने की सलाह देते हैं.
- कुछ समय बाद कमला गर्भवती हो जाती है. परिवार वाले खुश हैं. कमल पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है. पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता. वह कमला के बारे में सोचता रहता है.
- कुछ दिनों बाद कमला एक बेटे को जन्म देती है. परिवार को बेटे की चाहत थी. वे खुश नहीं हैं.
- कमला फिर गर्भवती हो जाती है. वह पहले बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती. परिवार को वंश चलाने के लिए बेटे की उम्मीद है. कमल के दोस्त चिढ़ाते हैं- "तुम कैसे मर्द हो, एक बेटा पैदा नहीं कर सकते".
- कमला को यह सब अच्छा नहीं लगता. उसे भूख नहीं लगती. वह बहुत कमजोर हो जाती है. उसका परिवार के अन्य सदस्यों से झगड़ा होता रहता है. कमल चिंतित रहने लगता है.
- कमला बीमार रहने लगती है. कमल पढ़ाई छोड़ कर घर आ जाता है. पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं होता.
- कमल इलाज के लिए कमला को शहर ले जाता है. डॉक्टर कहते हैं कि इलाज लम्बा चलेगा.

कमला और कमल से पूछें उन्हें कैसा लगा और क्यों? जवाब संकलित करें. कमल और कमला की भूमिका निभाने वाले सहभागियों को धन्यवाद कहे और उनके लिए ताली बजवाएं

विमर्श:

कमला के जीवन पर पढ़ने वाला असर

- बिना मर्जी की शादी, अधिकार का हनन
- बचपन समाप्त हो जाता है
- पढ़ाई छूट जाती है, जानकारी से वंचित
- उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझा जाता है
- घरेलु हिंसा, मानसिक तनाव, बच्चे पर ध्यान नहीं
- खराब स्वास्थ्य, बीमारी, कुपोषित,
- अपने निर्णय नहीं ले सकती. भेदभाव
- कोई पहचान नहीं बनी. गरीबी चक्र

कमल के जीवन पर पढ़ने वाला असर

- बिना मर्जी की शादी
- बचपन पर असर पड़ता है
- दोस्तों और समाज का दबाव
- चिंता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है
- पढ़ाई छूट जाती है, कमाने के सीमित अवसर.
- अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं.
- पारिवारिक उलझन, पैसे की कमी
- गरीबी चक्र

प्रश्न:

- सहभागियों से पूछें, क्या यह आपके गाँव की कहानी लगती है?
- बाल विवाह का और क्या दुष्प्रभाव किशोर और किशोरी के जीवन पर पड़ता है?
- क्या बाल विवाह का दुष्प्रभाव केवल किशोर और किशोरियों पर ही पड़ता है? अगर किन्हीं और पर भी पड़ता है तो किन पर? और क्या दुष्प्रभाव?

किशोर और किशोरी के जीवन पर बाल विवाह के अन्य दुष्प्रभाव:

- बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है।
- यौन संक्रमित बिमारियों, एड्स आदि की संभावना ज्यादा होती है।
- जच्चा-बच्चा मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- कौशल अभाव के कारण कम आय की संभावना।

सहभागियों का जवाब संकलित करें।

परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव:

परिवार बीमारी और गरीबी के चक्र में फंस जाता है	बच्चे कमजोर पैदा होते हैं।
पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा ज्यादा होती है	नवजात का देखभाल सही नहीं होता
कौशल में कमी के कारण विकास के कम अवसर	समस्या का सामना करने की कौशल सीमित होती है
जच्चा-बच्चा के बीमारी और मौत की ज्यादा संभावना	सीमित क्षमता के कारण बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं होता
कलह की वजह से रिश्तों में टूटन	बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा का अभाव
कानून के उल्लंघन के कारण परिवार के सदस्यों को सजा हो सकती है। कानूनी उलझन और दुश्चक्र	

देश और समाज पर पड़ने वाला प्रभाव:-

- देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- जनसंख्या नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- शीघ्र गर्भावस्था के कारण जनसंख्या दर 11% तक बढ़ जाती है।

निष्कर्ष:

बाल विवाह का दुष्प्रभाव लड़कियों पर ज्यादा पड़ता है। पर इसके दुष्प्रभाव से लड़के और परिवार भी अछूते नहीं रहते। बाल विवाह से परिवार की सुख-चैन, शांति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विकास के अवसर आदि पर भी पड़ता है। अवयस्क माँ से जन्म लेने वाले बच्चे भी कमजोर होते हैं। उचित परवरिश के अभाव में उनका भविष्य भी प्रभावित होता है, नतीजन विकास की दौड़ में परिवार पिछड़ता चला जाता है।

बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह किशोरियों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और संरक्षण के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर देता है। किशोरियों के भी अपने सपने होते हैं लेकिन वे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार से वंचित हो जाती हैं।

अनेक परिवार ने बाल विवाह का दंश झेला है। उसे तो मिटाया नहीं जा सकता लेकिन दूसरों को बचाया जरूर जा सकता है। अतः जीवन पर्यंत परेशानी और पिछड़ेपन के जगह विवाह के लिए कुछ वर्ष का इंतज़ार ही बेहतर है।

भोजन के लिए 45 मिनट का ब्रेक

अत्र- 5: बाल विवाह से संबंधित योजनायें

उद्देश्य :

- बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के जानकारी में वृद्धि करना.

समय : 30 मिनट
पद्धति : ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी, योजनाओं की प्रति

5.1: बाल विवाह से संबंधित योजनायें

परिचर्चा-प्रस्तुति:

सहभागियों से बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछें. जवाब संकलित करें. फिर पूरी जानकारी दें.

झारखण्ड राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य की कार्य योजना” तैयार की गई है जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं, समुदाय और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की गई है. इस कार्य योजना में कानून और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जागरूकता हेतु भी प्रयास किया गया है. यही नहीं विभिन्न समितियों को क्रियाशील बनाने की रणनीति भी तैयार की गई है. इसके अलावे कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं.

- समेकित बाल संरक्षण योजना: इसके तहत, संरक्षण एवं देखभाल की जरूरत वाले परिवार के बच्चों के लिए प्रायोजकता का प्रावधान है जो उन्हें परिवार से अलग होने से रोकता है.
- सबला और तेजस्विनी योजना: ये योजनायें किशोरियों की भागीदारी और सशक्तिकरण के द्वारा उनमें जीवन कौशल की क्षमता विकसित करते हैं साथ ही बाल विवाह और अन्य सामाजिक मुद्दों पर उनकी समझदारी भी विकसित करते हैं.
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह कार्यक्रम किशोरियों के पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और अघात के रोकथाम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन की तैयारी, किशोरावस्था में गर्भाधान की रोकथाम आदि के द्वारा बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है.
- मुख्यमन्त्री लक्ष्मी लाडली योजना: इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेटों के जन्म (निबंधन) से अगले पांच साल तक 6000 रुपये उसके नाम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमा किया जाता है.
- सुकन्या समृद्धि योजना: यह योजना भी बालिका के 10 वर्ष की उम्र से, बालिका के वयस्कता तक तय राशी जमा करने पर अधिक लाभ द्वारा बाल विवाह को हतोत्साहित करती है.
- मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना: निर्धन परिवार के किशोरियों के विवाह के सहायार्थ यह योजना भी बालिका के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करती है, जब तक वह वयस्क ना हो जाये.
- समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय: ये योजनायें माध्यमिक स्तर तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, साथ ही उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती हैं.
- बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ: इस योजना का उद्देश्य बालिका उत्तरजीविता, उनका उचित संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा सहित लिंगानुपात बेहतर कर बालिका के महत्व का बढ़ावा देना है. ये सभी प्रयास उतरोत्तर बाल विवाह को रोकने में सहायक होते हैं.
- शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम: बालिकाओं के शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दिया जाता है, ताकि उनकी शिक्षा अबाध रहे. यह बाल विवाह के संभावना को सीमित करता है.
- शैक्षिक सहायता: बालिकाओं के शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा सहित, परिवहन के लिए साईकिल वितरण आदि सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.
- कौशल विकास योजना और व्यावसायिक प्रशिक्षण:- विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाओं के द्वारा लड़कियों की आर्थिक स्वनिर्भरता को बढ़ाकर बाल विवाह रोकने में मदद करते हैं.

अत्र- 6: बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान

उद्देश्य :

- बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी देना.
- बाल विवाह से संबंधित कानून और पंचायत के भूमिका पर समझ बनाना.

समय : 60 मिनट
पद्धति : ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी

6.1: बाल विवाह संबंधी कानून

परिचर्चा:

सहभागियों से बाल विवाह संबंधी प्रमुख कानूनी अधिनियम के बारे में पूछें. आवश्यकता पड़ने पर संकेत दें.

संबंधित कानून एवं नियम:

- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
- राज्य बाल विवाह निषेध नियम, 2015
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (पोक्सो अधिनियम 2012, संशोधन 2019)
- पोक्सो नियम 2000
- महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण नियम, 2006

6.2: बाल विवाह निषेध अधिनियम

प्रस्तुति:

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी. 1949 में लड़कियों विवाह संबंधी उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 15 साल और उसके बाद 1978 में इसे 18 साल कर दिया गया. लड़कों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया. 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विवाह के उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- बाल विवाह: लड़कों का विवाह 21 वर्ष और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व बाल विवाह है और यह प्रतिबंधित है.
- विवाह की मान्यता: विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस विवाह को दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर अवैध घोषित करवाया जा सकता है.
- संरक्षण: विवाह के लिए बालक/बालिका को उसके कानूनी संरक्षक से दूर ले जाना या मजबूर करना अपराध है.
- भरण-पोषण: जिला न्यायालय किशोरी के वयस्क पति को भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है. यदि विवाह बंधन में लड़का नाबालिग है तो लड़की का भरण-पोषण का जिम्मेदारी उसके माता-पिता को होगा.
- दान: न्यायालय के आदेशानुसार दोनों पक्षों को विवाह में दिए गए गहने, कीमती वस्तुएं और धन लौटाने होंगे.

- बाल विवाह के लिए दोषी: 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का वर, बालक या बालिका के माता, पिता, संरक्षक, बाराती, अन्य मेहमान, टेंट का सामन देने वाला, केटर, विवाह को संचालित अथवा दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति जैसे अगुवा, पंडित आदि तथा विवाह में शामिल लोग बाल विवाह के लिए दोषी माने जायेंगे।
- बाल विवाह से संबंधित दंड: बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं। विवाह में शामिल लोगों को तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं होती है।
- बाल विवाह की शिकायत: जिस व्यक्ति का बाल विवाह करवाया जा रहा हो उसका कोई रिश्तेदार दोस्त या जानकार बाल विवाह के बारे में थाने जाकर बाल विवाह की जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी: इस कानून के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियां होती हैं।
- बाल विवाह से संबंधित मामलो में याचिका: बाल विवाह कानून के तहत किसी भी राहत के लिए संबंधित निम्नलिखित जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है- प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय, विवाह का स्थान, जिस जगह पर दोनों पक्ष पहले से एक साथ रह रहे थे या याचिकाकर्ता वर्तमान में जहाँ रह रहा हो उससे संबंधित जिला न्यायालय।

6.3: पोक्सो अधिनियम

प्रस्तुति:

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) संक्षिप्त रूप में पोक्सो अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधी जघन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार सहमती से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। इसका मतलब है कि-
 - ◇ यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है।
 - ◇ यदि कोई पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- पोक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, के उपस्थिति में होनी चाहिए।
- यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उस पर किशोर न्याय बोर्ड में बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत के मुकदमा चलाया जाता है।
- यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो।
- इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को खराब करने के लिए भी सजा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने की कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
- बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों का बयान के लिए बार बार पुलिस स्टेशन या न्यायालय में नहीं बुलाना है।

- 164 के बयान के समय बच्चा जिसपर भरोसा करता है उसे अपने साथ रख सकता है।
- 164 बयान के समय आरोपी को पीड़िता के सामने नहीं लाना है।
- इस अधिनियम के तहत बच्चों का मेडिकल जाँच अभिभावक या बच्चा जिस पर भरोसा करता है उसके सामने किया जाना है।
- यदि पीड़िता बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाना है।
- इस अधिनियम के तहत FIR की कॉपी अभिभावक को निशुल्क उपलब्ध करवाना है।
- इस अधिनियम के तहत बच्चा जहाँ अपने आप को अनुकूल समझे उस स्थान पर बयान लेना है।
- यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तब मजिस्ट्रेट या पुलिस विशेष शिक्षक या बच्चे की भाषा समझने वाले व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं।
- बच्चों का बयान आडियो/वीडिओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना है।
- अभिभावक बच्चे के अधिकार के संरक्षण हेतु अपने पसंद का कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का हकदार हैं।
- यदि अभिभावक कानूनी सलाहकार का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा।

6.4: अन्य अधिनियम में बाल विवाह संबंधी प्रावधान

प्रस्तुति:

किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

- किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित देख-रेख, संरक्षण, त्वरित न्याय एवं सामाजिक न्याय हेतु प्रमुख कानून है। बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बाल मैत्री दृष्टिकोण पर आधारित यह कानून बाल संरक्षण के प्रयासों का आधार है।
- इस अधिनियम का धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता का वर्णन करती है। इस धारा के तहत अगर कोई बच्चों पर नियंत्रण रखते हुए बच्चे का शोषण या उत्पीड़न करेगा जिससे उसका शारीरिक या मानसिक कष्ट की संभावना है तो यह बाल-क्रूरता का दोषी माना जायेगा और उसे तीन वर्ष या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- इस अधिनियम के नियमावली 2016 के नियम 55 के अनुसार शादी के लिए बच्चे को देना बच्चों के प्रति क्रूरता माना जायेगा और उसे अधिनियम के धारा 75 के अनुरूप सजा होगी।
- इस अधिनियम के नियमावली 2016 की धारा 83 के अंतर्गत यदि कोई नाबालिक बच्चा अपराध करता है तो उसके माँ-बाप या पालक को जेल हो सकती है। इसके साथ ही जिसके संगत में बच्चा अपराध कर रहा है उसे भी जेल भेजा जा सकता है।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम:

यह अधिनियम घर के अन्दर महिलाओं का मौखिक, शारीरिक, भावनात्मक और यौन हिंसा से संरक्षण करती है। यह एक नागरिक कानून है अपराधिक कानून नहीं है। इस कानून के तहत अपराधिक मुकदमा या कारावास के सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर अपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इस अधिनियम के बाल विवाह संबंधी मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

- बेटी को घर से बाहर निकलना भी इस अधिनियम के तहत एक प्रकार का हिंसा माना गया है।
- बेटी पर शादी करने का दबाव भी एक प्रकार का हिंसा है।
- महिला को नीचा दिखने या अपमानित करने वाले हिंसा भी इसमें यौन हिंसा माना गया है।
- किसी महिला को खतरे में डालना, इस कानून के तहत अपराध माना गया है।
- का अध्यक्ष प्रमुख और उपाध्यक्ष उप-प्रमुख होते हैं। इस पद के अनुसार उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है।

अत्र- 7: विभिन्न हितधारकों की भूमिका

उद्देश्य :

- बाल विवाह से संबंधित विभिन्न संरक्षण तंत्र की जानकारी और उनकी भूमिका पर समझ बनाना

समय : 75 मिनट


पद्धति : वाद-विवाद, ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी

सामग्री : पीपीटी, चार्ट, गोल कार्ड,

7.1: संरक्षण तंत्र

अभ्यास-परिचर्चा:

किसी भी समस्या को रोकने के लिए उसे हर ओर से घेरना पड़ता है. यदि कोई भी रास्ता छुट गया तो बच के निकालने का रास्ता बन जाता है. एक चार्ट में चित्रानुसार गोला बना दें. सहभागियों को कहें कि बाल विवाह रूपी समस्या को रोकने के लिए हर छेद को किसी एक संरक्षण तंत्र से भरना है. सहभागियों को रंगीन गोल कार्ड बाँट दें. उन्हें पहले चर्चा करने के लिए कहें. उनका उपाय चयनित होने पर कार्ड में लिखने के लिए कहें. जवाब चार्ट में चिपका दें. जब एक सहभागी जवाब लिख रहे हो तो चर्चा जारी रखा जा सकता है.



प्रस्तुति:

जवाब संकलित करते हुए संरक्षण तंत्र की निम्न जानकारी प्रदान करें:-

बाल कल्याण समिति : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय समिति.

किशोर न्याय बोर्ड: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय बोर्ड.

जिला बाल संरक्षण इकाई: इस जिला स्तरीय समिति में अनेक बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं.

बाल संरक्षण समिति: इसका गठन जिला, प्रखंड एवं ग्राम(शहरों में वार्ड) स्तर पर किया गया है.

विद्यालय प्रबंधन समिति: विद्यालय स्तर पर गठित समिति का बाल विवाह निवारण में विशेष भूमिका है.

विशेष किशोर पुलिस इकाई : हर पुलिस थाना में बाल संरक्षण अधिकारी.

झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण आयोग: बाल संरक्षण के मुद्दों पर सुनवाई हेतु राज्य स्तरीय आयोग.

चाइल्ड लाइन : देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपातकालीन, राष्ट्रीय और 24x7, निशुल्क सेवा. फ़ोन नंबर -1098.

बाल विवाह संबंधी जागरूकता, रेस्क्यू और पुनर्वास में विशेष भूमिका.

बाल विवाह निषेध पदाधिकारी: प्रखंड विकास पदाधिकारी. इन्हें नोडल अधिकारी भी कहा जाता है.

जिला प्रशासन और विभाग: जिला और राज्य स्तर पर समन्वय सहित इनकी विशेष भूमिका है.

न्यायालय: नाबालिग का बायान दर्ज करने, विवाह का शून्यीकरण सहित न्यायिक भूमिका

7.2: मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभिन्न संरक्षण तंत्र की भूमिका

प्रस्तुति:

बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की प्रति वितरित करें. सहभागियों को बता दें कि इसमें विभिन्न हितधारकों के विशेष जिम्मेदारी का वर्णन है. यहाँ केवल जिम्मेदारियों पर संक्षिप्त चर्चा की जा रही है. सहभागी

अपनी जिम्मेदारी और प्रक्रिया के बारे में पूर्ण विवरण मानक संचालन प्रक्रिया की प्रति से प्राप्त कर सकते हैं। बाल विवाह के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभिन्न संरक्षण तंत्र की प्रमुख भूमिकाएं अग्रलिखित हैं:

1. बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी की जिम्मेदारियां:-

(क) बाल विवाह रोकने हेतु:

- बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना.
- समुदाय को बाल विवाह के मुद्दे पर संवेदनशील करना

(ख) अगर निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है:

1. दोनों पक्षों के घर जाकर अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के लोगों को इस बात से अवगत कराएँ कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है एवं इसे नहीं किया जाये.
2. लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराना.
3. ग्राम पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/लोक सेवकों, स्थानीय एनजीओ की मदद लेकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित कराना.
4. यदि बच्चे के अभिभावक बाल विवाह की योजना से पीछे नहीं हटते हैं तो अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर निषेधाज्ञा जारी कराना.
5. बच्चे के सुरक्षा व देखभाल के मामले में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बाल कल्याण समिति की मदद लेना.
6. ऐसे बच्चों के अभिभावकों से बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भरवाया जायेगा. इसका उल्लंघन होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल की जायेगी.
7. व्यक्ति अथवा स्थानीय समुदाय को बाल विवाह को प्रोत्साहित न करने एवं सहयोग न देने अथवा स्वीकृति न देने के संघर्ष में परामर्श देना.

(ग) जिस समय विवाह संपन्न हो रहा है:

1. इस बात की जानकारी तत्काल संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना, जिससे वह बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकें.
2. संपन्न हो रहे विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करना.
3. दोषियों की सूची बनाना, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने (अगुवा), विवाह करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार या ऐसी शादी में शामिल होने वाले सम्मिलित हैं.
4. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार करवाना.
5. यदि बच्चे के साथ जबर्दस्ती की जा रही है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो तत्काल ऐसे बच्चे को सुरक्षा व सहायता प्रदान करने हेतु बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उसकी सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करना.
6. बाल विवाह के आयोजन को यथानुरूप कार्यवाही कर रोकना.
7. इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावकारी विधिक कार्यवाही हेतु साक्ष्य एकत्रित करना.
8. राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना.
9. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार कराना.

10. किसी बाल विवाह के अनुष्ठान की सूचना मिले जिसमें बच्चा या बच्ची अवयस्क हो तो अनैतिक व्यापार (प्रविषेध) अधिनियम (1956 का 104) के अधीन नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करना. यदि
 - विधि पूर्ण अभिभावक से ले लिया गया हो या फुसला कर ले जाया गया हो, या
 - बल पूर्वक बाध्य किया गया हो, या
 - किसी स्थान से जाने के लिए किसी प्रवान्चानापूर्व उपाय से उत्प्रेरित किया गया हो, या
 - विवाहित हो और इसके बाद अनैतिक प्रयोजन के लिए बेचा गया हो या दुर्व्यापारित या उपयोग किया गया हो.

(घ) अगर बाल विवाह हो चुका है:

1. संपन्न विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करना.
2. दोषियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते हैं.
3. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों को गिरफ्तार करना.
4. आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चे को 24 घंटों के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना.
5. पीड़ित बच्चे के बयान कर/कराकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.
6. पीड़ित बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत घोषित विशेष न्यायालय (ADJ-1) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना.
7. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ता, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना.
8. अगर बच्चा अपने मां-बाप के साथ ही रहता है, तो नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई तथा निरीक्षण करवाना. बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जायेगा.
9. यदि आवश्यक हो तो बच्चे को अनुवर्ती (फालोअप) सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्वयं सेवी संस्था की मदद ली जायेगी.
10. पीड़ित बच्चे के विरुद्ध हुए किसी भी दूसरे अपराध की जांच में भी मदद उपलब्ध करवाना.

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ:-

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार कर सकेंगे:-

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच करने तथा सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन करने हेतु सशक्त होंगे.
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को जब भी युक्तियुक्त आधार पर विश्वास हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध घटित हो चुका है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है तथा किसी परिसर की तलाशी बिना वारंट अविलंब संभव नहीं है, वह अपने विश्वास का आधार जिला दंडाधिकारी को भेजकर उन परिसरों की तलाशी बिना वारंट के भी ले सकेंगे.
- उपायुक्त जिला दंडाधिकारी को मामला को सूचित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अथवा मौखिक/ लिखित सहमति प्राप्त कर सकेंगे.

2. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग:-

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही, संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करना.
2. बाल विवाह रोकथाम में महिला समिति, सी.डी.पी.ओ, प्रवेक्षिका, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहिया, सहयोगिनी को बाल

विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करना एवं बाल विवाह की रोकथाम में वातावरण निर्माण हेतु निर्देशित करना.

3. जिन बालक/बालिकाओं का बाल विवाह हुआ है उनकी सूची तैयार करना एवं आवश्यकतानुसार बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में तत्काल जानकारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को देना.
4. सबला योजना के लाभान्वित बालिकाओं में बाल विवाह की रोकथाम हेतु किशोरी समूह के माध्यम से माहौल निर्माण किया जायेगा.
5. महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों मुख्यतः किशोरी शक्ति योजना, जननी शिशु योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना आदि के बारे में व्यापक जन प्रचार प्रसार एवं उन्हें योजनाओं /कार्यक्रमों से जोड़ना.
6. जिलों में कार्यरत जिला बाल संरक्षण ईकाई के माध्यम से भी बाल विवाह के शून्यकरण कराने हेतु प्रयास एवं बालिका को काउंसलिंग सेवा उपलब्ध कराना तथा प्रचार प्रसार करना.
7. मासिक बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा बैठक एवं समिति के द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों का रिपोर्ट एवं कार्य योजना पर चर्चा.

3. पुलिस विभाग:-

1. बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को देना तथा बाल विवाह की घटना में जाकर समुदाय को समझाकर बाल विवाह रोकने का प्रयास करना.
2. निकट भविष्य में बाल विवाह होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम नयायिक मजिस्ट्रेट को दी जायेगी ताकि निषेधाज्ञा जारी की जा सके.
3. बाल विवाह के पीड़ित बच्चों को आवश्यकता पडने पर तत्काल मुक्त करा कर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा.
4. पीड़ित बालिका से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम इत्यादि की मदद ली जायेगी.
5. स्थानीय पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बाल विवाह के प्रकरणों में बिना देरी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लैगिंग अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करेंगे. संबंधित आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जायेगा.
6. विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा बच्चों के विरुद्ध अपराध जिनमें बाल विवाह एवं लड़कियों की खरीद-फरोख्त, तस्करी मुख्य है, की रोकथाम के संबंध में कार्य-योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करना.

4. जिला परिषद/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति:-

1. बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत सदस्य दोनों पक्षों के अभिभावकों/ रिश्तेदारों/समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने हेतु कोशिश करना.
2. लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराना.
3. अधिनियम की धारा 16(2) के तहत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बाल विवाहों की रोकथाम करने में मदद करना.
4. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए.
5. गांवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य करना. ग्राम सभा की बैठको में नियमित रूप से बाल विवाह रोकथाम चर्चा कराना.
6. गाँव के वार्ड सदस्य के द्वारा शादी निबंधन रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करना.
7. पंचायत के मुखिया द्वारा मंदिर समिति/मौलबी को पत्र निर्गत कर यह सूचित करना कि कानूनी उम्र के अनुसार शादी सम्पन्न किया जाए.

8. पंचायत के मुखिया द्वारा शादी के लिए परिवार को उम्र का सत्यापन कर प्रमाण पत्र निर्गत करना. यह स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित हो. अगर इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तब ही आधार पर आधारित उम्र का सत्यापन किया जा सकता है.
9. यह सुनिश्चित करना कि गाँव की सभी शादियां लड़कियों का 18 वर्ष से अधिक एवं लड़कों का 21 वर्ष से अधिक में हो तथा गाँव में जो वधु आ रही है उसका उम्र भी 18 वर्ष से ऊपर हो.
10. जिन बच्चों के बाल विवाह हो चुका है और जो अपना विवाह रद्द करना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को उपलब्ध कराना ताकि बाल विवाह निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही की जा सके.
11. सभी बच्चों, खासतौर से लड़कियों को स्कूल में दाखिला एवं ठहराव सुनिश्चित कराना.
12. बाल विवाह रोकथाम के लिए अपने पंचायत के सुदूर/दुर्गम/आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहयोग करना.
13. प्रखण्ड एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों मुख्यतः बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी एवं बाल उत्पीड़न पर जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी कार्य करना.

5. जिला शिक्षा विभाग/स्थानीय विद्यालय:-

अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका को अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने का जिम्मा सौंपा गया है.

1. विद्यालय प्रशासन को बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह होने वाला है कि सूचना मिलती है, तो इसके बारे में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/चाइल्ड लाइन (1098)/ग्राम पंचायत को सूचित करना.
2. विद्यालय में ऐसे बच्चों पर सीधी नजर रखें जो बाल विवाह का शिकार बन सकते हैं. स्कूल में ऐसे बच्चों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करना.
3. यदि किसी बच्चे की गैरहाजिरी संदेहास्पद लगती है तो तत्काल उस बच्चे के घर जाकर उससे मिलने एवं गैरहाजिरी के संबंध में पूछताछ करना.
4. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक लेकर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह नहीं करने संबंधी जानकारी प्रदान करना.
5. विद्यालयों में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना.
6. प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड लाइन का फ़ोन नंबर अंकित किए जाये ताकि बच्चे उन पर अपनी शिकायतें भेज सकें.
7. किशोर-किशोरियों के लिए कैरियर परामर्श की व्यवस्था करना.
8. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रचार-प्रसार करना ताकि किशोरियों का बाल विवाह के नुकसान से अवगत किया जा सके.

6. बाल कल्याण समिति:-

- बाल विवाह होने की सूचना/शिकायत मिलने पर समिति द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए विवाह को रूकवाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ)/स्थानीय पुलिस को आदेशित करना.
- बाल विवाह में लिप्त दोषियों के विरुद्ध पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित करना.
- बाल विवाह के पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने संबंधी कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाइन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्दिष्ट करना.
- पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज कर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना.
- बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, काउंसलिंग, मुआवजा, गुजारा भत्ता, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना.
- बाल विवाह से जन्मे हुए नवजात शिशुओं को यदि बालिका पालने में अक्षम है तो उसके पति या पति के परिवार से गुजारा भत्ता दिलवाना.

- यदि बालिका अपने भविष्य के कारण शिशु का परित्याग करना चाहती है तो उसे नियमानुसार शिशु को समर्पित करने की प्रक्रिया से अवगत कराना. यथासंभव कोशिश करना कि शिशु माँ से अलग ना हो और उसको सारे वैधिक अधिकार संरक्षित रहें.
- समिति के समक्ष आने वाली बाल विवाह की पीड़ित बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना.
- समिति द्वारा ऐसे बालक-बालिकाओं के परिवारजनों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा कर बच्चों के भविष्य के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में सहयोग करना.

7. जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास):-

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना.
2. जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम योजना बनाना तथा जिला बाल संरक्षण समिति के बैठक में उपायुक्त द्वारा कार्य योजना का समीक्षा करना.
3. जिला कार्य योजना के क्रियान्वयन के तहत बाल विवाह के बारे में आवश्यक जन जागरूकता हेतु सतत अभियान चलाना तथा इसमें आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेना.
4. पीड़ित बच्चों को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता, आश्रय एवं संरक्षण की व्यवस्था करवाना.
5. बाल विवाह के संभावित/पीड़ित बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनकी प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/ कार्यक्रमों से जोड़ा जाना.
6. जन समुदाय में राज्य सरकार की विवाह रोकथाम हेतु संबंधी मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में भी जागरूकता पैदा करना ताकि बाल विवाह जैसी परम्पराओं पर रोक लग सके.
7. ग्राम बाल संरक्षण समिति के द्वारा सभी बच्चों उम्र अनुसार सूची तैयार करना तथा संधारण करना (स्कूल रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र).

8. जिला प्रशासन

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं निगरानी सुनिश्चित करना.
2. जिला उपायुक्त द्वारा सामूहिक विवाह के मामले में तत्काल निषेधाज्ञा जारी करना.
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण करवाना.
4. बाल विवाह की रोकथाम हेतु समस्त प्रशासनिक एवं राजकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना.
5. बाल विवाह के संबंध में चाइल्ड लाइन को आवश्यक जागरूकता पैदा करना तथा बाल विवाह रोकने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना.
6. बाल विवाह रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालन करना.
7. बाल विवाह मुक्त गाँवों के निर्माण एवं बाल विवाह की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाना.
8. विवाहों के पंजीकरण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर इनका पंजीयन सुनिश्चित करना.
9. जिला उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा जिला बाल संरक्षण की त्रैमासिक बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए बने कार्य योजना की समीक्षा करना.

लिंकेज:

विभिन्न सेवा प्रदाताओं और सरकारी पदाधिकारियों के जिम्मेदारियों के निर्वहन में संस्था के प्रतिनिधी और नेटवर्क साथी कैसे सहायता कर सकते हैं विस्तार में बता दें. उनसे किस प्रकार की मदद लिया जा सकता है, उनकी उपलब्धता और सीमायें स्पष्ट कर

दें. आवश्यक फोन नंबर साझा करें.

7.3 खुला सत्र

स्पष्टीकरण/ खुली चर्चा :

सत्र संबंधी किसी भी प्रकार के स्पष्टता हेतु खुली चर्चा का आयोजन करें

सत्र- 8: कार्य योजना निर्माण

उद्देश्य :

- व्यक्तिगत कार्य योजना बनाना

समय : 30 मिनट

पद्धति : लेखन, परिचर्चा

सामग्री : फॉर्मेट

8.1: कार्य योजना निर्माण

लेखन कार्य:

- सभी प्रमुख चार्टों को क्रम से दीवार पर चिपका दें.
- उन्हें प्रमुख चार्टों को 10 मिनट तक अध्ययन करने के लिए कहें.
- चयनित सहभागियों को प्रमुख चार्ट पढ़ने के लिए कहा जा सकता है.
- सभी को बाल विवाह रोकने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला तीन प्राथमिक कार्य कार्ड में लिखने के लिए कहें.
- जवाब संकलित करते जाएँ. उन्हें वर्गीकृत कर बोर्ड में लिख दें.
- यदि सहभागी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो पूछें.
- संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा कार्य योजना के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु टिप्पणी

सत्र- 9: फीडबैक

उद्देश्य :

- सुधार हेतु जानकारी






समय : 20 मिनट

पद्धति : लेखन कार्य ,

सामग्री : चार्ट, स्केच, टेप, कार्ड

9.1: प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक

- उनकी प्रशिक्षण से अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई, मिलान करें
- पुनः उस चार्ट को निकाले जिसमें सभी की अपेक्षाएं लिखी गयी थी, किसी प्रतिभागी को बुला कर चार्ट को पढ़ने के लिए कहें. साथ में मिलान करते जाएँ कि प्रशिक्षण से कौन कौन सी अपेक्षाएं पूरी हुईं?
- जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं उसके लिए रणनीति बनायें.
- सहभागियों से संक्षिप्त में प्रशिक्षण के बारे में उनकी राय लें.
- उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी सीख थी जो उन्होंने अपने साथियों से सीखा.



सृजन फाउंडेशन

मुख्य कार्यालय: 106, बिजोय एन्क्लेव, हीराबाग चौक, मटवारी, हजारीबाग- 825301

राज्य समन्वय कार्यालय: पृथ्वी होम, फ्लैट नं-202 डी.ए.वी.

दीपटोली गेट नं.1 के निकट, बाँधगाड़ी, रांची 834009

Website: www.srijanjhk.org . E-mail id: srijanfoundationjkd@gmail.com